तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3447/2005/भरतपुर राजेन्द्रसिंह बनाम गोपाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

निर्णय

दिनांक 01.10.2019

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-09-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर ने अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी बाबत् जवाबदावे में संशोधन की अनुमति को स्वीकार किया है।

निगरानी प्रकरण वर्ष 2005 से मण्डल के समक्ष विचाराधीन है तथा नियत तारीख पेशी को उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण को बार बार आवाजे लगवाई गयी किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जिसमें निगरानी मीमों में अंकित अनुसार तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश के अवलोकन उपरान्त इस बिन्दू का निर्धारण किया जाना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 को विधिसम्मत् आदेश से स्वीकार किया अथवा नहीं ?

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निगराधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मूल वाद संख्या 408/1991 में जवाबदावा आ जाने के उपरान्त सहायक कलक्टर, भरतपुर ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23-06-1998 से खसरा नम्बर 1505 रकबा 70एयर पर से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये है। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3447/2005/भरतपुर राजेन्द्रसिंह बनाम गोपाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील संख्या 102/1997 पेश हुई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15–09–2000 से प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया। तद्परान्त प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील संख्या 15/2000 राजस्व मण्डल के समक्ष पेश हुई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 04–07–2003 से खारिज कर दी। प्रकरण की उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि प्रकरण एक बार मण्डल स्तर तक आ चुका है एवं विचारण न्यायालय को राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के प्रतिप्रेषित निर्णय दिनांक 15–09–2000 की अनुपालना करनी है। इसलिए रिमाण्ड प्रकरण में इतने वर्षो उपरान्त जवाबदावा में संशोधन की अनुमति देना न्यायसंगत नहीं है। साथ ही जवाबदावे में पूर्व में अंकित अभिवचनों तथा स्वीकृतियों को प्रतिवादीगण रिमाण्ड के स्तर पर बदल नहीं सकते है, जिसकी पुष्टि न्यायिक दृष्टान्त 1998 आरएलडब्ल्यू I एससी पेज 170 से होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–07–2005 निरस्त किया जाता है। चूंकि मूल वाद वर्षो पुराना होने से उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर को निर्देशित किया जाता है कि वे मूल वाद में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत करते हुए अधिकतम् छः माह में उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पारित करें।

निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य